दैनिक भास्कर 5 JUL 20..
दिनांक

निविदा विज्ञप्ति

निविदा क्रं. 5728 एमजीएनआरईजीएस- म.प्र./13 दिनांक 2/7/13 मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, द्वितीय तल नर्मदा भवन, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल में कार्यालयीन उपयोग हेतु वित्त विभाग के नवीन दिशा निर्देश अंतर्गत चार पहिया वाहनों की आवश्यकता है। इसके लिए सक्षम ट्रेवल्स एजेंसी (शासकीय नियमानुसार सेवाकर (सर्विस टेक्स) हेतु पंजीकृत) से विभिन्न वाहनों को दैनिक/मासिक दरों पर उपलब्ध कराने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा के लिए निविदा प्रपत्र मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय भोपाल की वाहन शाखा को रूपये 2000/-(रूपये दो हजार)/डी.डी. देकर कार्यालयीन समय में दिनांक 20 अगस्त 2013 को 2.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते है (निविदा प्रपत्र दिनांक 15 जुलाई 2013 से उपलब्ध होंगे)। सीलबंद निविदाऐं दिनांक 20 अगस्त 2013 को उपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय में जमा की जा सकती है। प्राप्त निविदाऐं दिनांक 20 अगस्त 2013 को उपरान्ह 4.30 बजे निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.nregs-mp.org से भी डाउनलोड कर सकते है। परन्तु निविदा का मूल्य 2000/- का डी.डी. पृथक से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(अनिल द्विवेदी)
प्र. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय, भोपाल

जी-16413/13

हरिद्वार हेल्पलाईन श्री आर.एस.राठौर, कमाण्डेंट होमगार्ड - 0942509378

मध्य प्रदेश राज्य रोजगार परिषद्, मुख्यालय भोपाल

—:: भाव पत्र आमंत्रण सूचना ::—

म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल के लिए मासिक एवं दैनिक किराए के आधार पर दिनांक ....तक अपरान्ह................ बजे निम्नलिखत शर्तो के अनुरूप वाहन किराए पर लेने के लिए रजिस्टर्ड/ ख्याति प्राप्त ट्रेवल्स एजेंसी(जो शासकीय नियमानुसार सेवाकर हेतु पंजीकृत है।) से मुहर बंद भावपत्र दो लिफाफा पद्धति में आमंत्रित किए जाते है। दिनांक..................को अपरान्ह ....बजे उपस्थित ट्रेवल्स एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे।

निविदा की शर्ते :—

1. संबंधित एजेंसी को नियमानुसार सेवाकर (सर्विस टेक्स) का भुगतान करना होगा। अतः पंजीकृत फर्म/ संस्था ही इस कार्य हेतु आवेदन करें। सेवाकर कर का वैध पंजीयन रखते हो। सेवा कर की अंतिम अधतन रिर्टन निविदा आवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी।
2. एजेंसी द्वारा क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत वाहन ही उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में वाहन के दस्तावेज निविदा समिति को अनिवार्यता अवलोकन कराना होगा।
3. परिषद् द्वारा वाहन का मासिक किराया मय इर्धन की राशि का भुगतान किया जावेगा वाहन का संधारण वाहन चालक का वेतन, वाहन मरम्मत दुर्घटना टूट फूट आदि समस्त व्यय ट्रेवल्स एजेंसी द्वारा वहन किये जावेंगे। वाहन चालक को प्रदाय होने वाले अन्य समस्त भुगतान का वहन संबंधित ट्रेवल एजेंसी को करना होगा।
4. संस्था ट्रेवल एजेंसी के रूप में पंजीकृत हो।
5. प्रस्तावित वाहन उनके/ कंपनी / फर्म के नाम से टैक्सी रूप में पंजीकृत हो। संस्था के नाम पर आयकर PAN No. रखते हों।
6. एजेंसी के पास निर्धारित प्रकार(मेक) के 1/1/2011 अथवा उसके बाद के पंजीकृत न्यूनतम दस वाहन होने आवश्यक है, जिसका प्रमाण (एक्स शो

DC JC/FA M.O. E.E

रूम प्राइस) भाव पत्र के साथ संलग्न करना आनिवार्य है। वाहनो का रजिस्ट्रेशन टैक्सी कोटा में ट्रेवल एजेंसी अथवा उसके संचालक के नाम से होने पर ही मान्य किया जावेगा। (रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति संलग्न करें)

7. ट्रेवल एजेंसी को दरें प्रस्तुत करने के साथ रूपयें 2,00,000/- (रूपए दो लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, जो आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, मुख्यालय भोपाल को देय होगा, अर्नेस्ट मनी बतौर जमा कराना अनिवार्य होगा। जिसे एक अलग लिफाफे में प्रस्तुत करें। इससे अभाव में ट्रेवल्स एजेंसी का भाव पत्र का दूसरा लिफाफा नहीं खोला जावेगा।
8. किराए के वाहनो की संख्या परिषद की आवश्यकतानुसार न्यूनतम 10 अथवा उससे अधिक हो सकती है। सप्ताह के सभी दिवसों में परिषद् को उपलब्ध कराना, ट्रेवल एजेंसी की बाध्यता होगी अन्यथा जिसका पूरा न होना अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन माना जावेगा।
9. स्वीकृत दरें सामान्यतः एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेंगी तथा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध करना होगा। सेवाएं संतोषजनक होने की दशा में अनुबंध परिषद् द्वारा 6 माह या नवीन निविदा भंडार क्रय नियम के अधीन जो भी पहले ही बढाई जा सकती है।
10. यह कि एक वाहन खराब या अनुपलब्ध होने की स्थिति में, म. प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद, को दो घंटे के अन्दर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। इससे अधिक समय लगने पर वाहन किराया उस दिन कि लिए देय नही होगा, साथ ही म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद को अधिकार होगा कि वह अन्य वाहन किराये पर ले सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था में यदि कोई अतिरिक्त व्यय आता है तो वह ट्रेवल एजेंसी से वसूल किया जावेगा। वाहन को खराब होने के स्थान से लाये जाने का दायित्व ट्रेवल एजेंसी का होगा।
11. न्यूनतम निविदाकार द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुबंध न करने पर अगले (न्यूनतम दर से तत्काल ऊपर) निविदाकार से अनुबंध की कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में न्यूनतम निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
12. वाहन मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को उनके द्वारा निर्धारित स्थान पर मय वाहन चालक के उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

13. ट्रेवल एजेंसी का डाक का पता एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / सम्पर्क व्यक्ति का नाम / दूरभाष क्रमांक का एक पत्रक संलग्न करना होगा।
14. यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थान में भी ले जायी जावेंगी। ट्रेवल एजेंसी के ड्राईवर का यह कर्तव्य होगा कि म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के आदेशो का पालन करें । वाहन चालक के आने जाने के कि.मी का व्यय ट्रेवल एजेंसी व्यय करेगी।
15. वाहन शासकीय कार्य संपादन हेतु म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सुविधानुसार प्रभारी अधिकारी के निवास व कार्यालय में रखा जा सकेगा तथा आवश्यकता अनुसार समय पर वाहन उपलब्ध कराना ट्रेवल एजेंसी का दायित्व होगा।
16. वाहन के साथ वाहन के समस्त कागजात तथा मूल पंजीयन बीमा पॉलिसी, इत्यादि रखना अनिवार्य होगा। एक प्रति परिषद कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
17. यह कि ट्रेवल एजेंसी को ड्राईवर के पास बीमा रजिस्ट्रेशन एवं टैक्सी वाहन चलाने का कार्मशियल लायसेंस आदि के कागजात वाहन में हमेशा साथ रखने होंगे। वाहन टैक्स पेड होगा तथा वाहन के फिटनेस / स्वामित्व का प्रमाण पत्र देना होगा, वाहन इन्श्योर्ड रहेंगे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर ट्रेवल एजेंसी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगी तथा समस्त खर्च वहन करेगी।
18. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में हर समय अच्छी हालत में स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारो पहिये टायर ट्यूब नये होने चाहिये तथा माइलोमीटर हमेशा चालू हालात में होना अनिवार्य है। जिसकी जिम्मेदारी ट्रेवल एजेंसी की होगी।
19. निविदा में दर्शित दरें अनुबंधित अवधि तक मान्य होगी। अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार से बाजार दरो में परिवर्तन होने पर स्वीकृत दरो में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
20. परिषद का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह प्राप्त भाव पत्र में से किसी भाव पत्र को या समस्त भाव पत्रो को बिना कारण बताये निरस्त कर सकती हैं तत्संबंध में समस्त अधिकार आयुक्त महोदय को होंगे।
21. नियत तिथि व समय के उपरांत प्राप्त भाव पत्रो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

22. वाहन चालक निविदा दाता का होगा। उसके पास कम से कम पाँच वर्ष का वैध ड्राईविंग लाइसेंस होगा।व समस्त आवश्यक बीमा एवं अन्य कागजात होंगे। वाहन के खराब अथवा अनुपलब्धता होने की स्थिति में वैकल्पिक उसी स्तर का वाहन उपलब्ध करने का दायित्व निविदादाता का होगा अन्यथा क्षतिपूर्ति की राशि 1000/– प्रतिदिन के मान से काटी जायेगी।

23. संबंधित फर्म को उनके कर्मचारियों के श्रम कल्याण हेतु कार्यवाही करनी हैं। तथा इस आशय का शपथ पत्र भी ट्रेवल एजेंसी को देना होगा कि परिषद द्वारा वाहन सेवा ली जा रही है इस संबंध में कोई ई.पी.एफ, इ.एस. आई अन्य समस्त देयतायें आदि ट्रेवल एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

24. अनुबंध निष्पादन के दिनांक से ही समस्त वाहन का अनुबंध करना अनिवार्य होगा। अन्यथा 1000/– प्रतिदिन प्रति वाहन के हिसाब से बयाने की राशि से काट ली जायेगी।

25. वाहन के साथ लॉग बुक रखना अनिवार्य होगा। लॉग बुक उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिदिन भरी जायेगी।

26. मासिक किराएदारी पर वाहन लिए जाने पर वाहन कार्यालय/अधिकारी/आवास में खड़ी करना होगी। यदि द्वितीय पक्ष अनुबंध अनुसार वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी सूचना एक माह पूर्व देना होगी। अन्यथा धरोहर की राशि राजसात कर ली जायेगी।

27. सर्विस टेक्स, पेन नम्बर, RTO में टेक्सी कोटा में रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। इसके प्रमाणक तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

28. वाहन के स्वामित्व आदि में किसी भी प्रकार के विवाद में द्वितीय पक्ष का उत्तरदायित्व होगा।

29. वाहन चालक द्वारा अपने कर्तव्य पर उपस्थिति के दौरान गुटखा, तम्बाकू एवं धूम्रपान एवं नशे संबंधी गतिविधियॉं पूर्णतः वर्जित है। एवं वाहन चालक का पुलिस वेरिफिकेशन पत्र भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। वाहन चालक का व्यवहार कार्यालयीन गरिमा के अनुरूप होना चाहिए।

30. एजेंसी द्वारा वाहन बाहर जाने पर वाहन चालक को ईधन एवं वाहन मरम्मत व सुधार कार्य हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

31. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों में 02 जोड़ी सीट कव्हर,टॉबेल, परफ्यूम, रीडिंग लैंप, घड़ी, टार्च, चार्जर, बारिश के मौसम में छाता, सीट बैल्ट, एवं अग्निशमन यंत्र इत्यादि अनिवार्य रूप से रखी होना आवश्यक होगा।
32. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन एवं वाहन चालक को बदलने से पूर्व प्रथम पक्षकार की अनुमति ली जाना आवश्यक होगी, क्योंकि इससे शासकीय कार्य बाधित होते हैं। वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी की अनुमति उपरांत ही वाहन एवं वाहन चालक बदला जावेगा।
33. संविदा के कार्यान्वयन की अवधि में सेवा प्रदाता द्वारा संविदा का निष्पादन भली प्रकार किया जा रहा है इसका निरंतर परिवीक्षण(Monitoring) भी परिषद द्वारा किया जायेगा।
34. किसी भी वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र भोपाल होगा।
35. तकनीकी निविदा **प्रपत्र भाग– 1** लिफाफा **अ** जिसमे अमानत राशि एवं तकनीकी निविदा में चाही गयी वांछित जानकारी, / प्रमाण पत्रो की छायाप्रति एवं वित्तीय निविदा **प्रपत्र भाग–2** को लिफाफा **ब** में रखे।
36. समस्त प्रकार के शासकीय करो आदि का कटौत्रा परिषद् द्वारा किया जायेगा।
37. देयक से सर्विस टेक्स की राशि तभी भुगतान की जायेगी जबकि संबंधित संस्था उसको जमा कराने का स्वप्रमाणित प्रमाण परिषद में जमा करा दे।
38. समस्त प्रकार के परिवहन, सेवा कर, श्रम कानून, आयकर एवं अन्य प्रावधानों का पालन का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म/संस्था को होगा। तत्संबंध में किसी भी वाद का दायित्व परिषद का नही होगा।
39. वित्तीय निविदा में L1 (लोएस्ट फस्ट) आधार पर चयन होगा। L1 (लोएस्ट फस्ट) को मासिक आधार पर, "प्रतिदिन के आधार" पर एवं "मुख्यालय के बाहर" के आधार पर पृथक–पृथक परीक्षित किया जायेगा। सुविधा की दृष्टि से मासिक आधार पर प्राप्त L1 (लोएस्ट फस्ट) पर चयनित फर्म/वाहन की दरें यदि "प्रतिदिन आधार" एवं "मुख्यालय से बाहर" के प्रकरणों में अधिक हैं, तो इसी L1 (लोएस्ट फस्ट) से उपर्युक्त "प्रतिदिन आधार" एवं "मुख्यालय से बाहर" के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त अन्य

न्यूनतम दरों के तारतम्य में यदि संबंधित L1 इस पर तैयार है, तो सेवाये देने हेतु सहमति प्राप्त की जा सकेगी।

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल

लिफाफा 'अ' मे रखे

तकनीकी निविदा प्रपत्र– 1

मनरेगा परिषद् भोपाल में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए(तकनीकी निविदा)

निविदाकार से संबंधित जानकारियों की शर्ते

1. निविदाकार का नाम : ....
2. कार्यालय का पूरा पता एवं दूरभाष क्रमांक : ....
3. निवास का पूरा पता एवं दूरभाष : ....
4. ई– मेल एवं मोबाईल नं. : ....
5. यदि निविदा फर्म/संस्था की ओर से है फर्म/ संस्था के मालिक/ संचालक का नाम एवं पूर्ण पता : ....
6. क्या निविदाकार को किसी शासकीय/ विभाग संस्था द्वारा वाहन उपलब्ध कराने के लिए आयोग्य ठहराया गया है ?/ ब्लेक लिस्टेड किया गया हैं। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण लिखें : ....
7. क्या निविदाकार को किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक मामले में सिद्ध दोष ठहराया गया है ? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण लिखें : ....
8. शासकीय कार्यालयों में वाहन किराये पर उपलब्ध कराने का तीन वर्ष का अनुभव विवरण दें । : ....

क्रं	कार्यालय का नाम	अवधि
1	2	3

9. निविदाकार का सेवा कर खाते का विवरण (सर्विस टेक्स नं. एवं रिटर्न की प्रति संलग्न करें। वर्ष 2011–2012):

कार्यालय का नाम	खाता क्रमांक
2	3

10. निविदाकार के स्वामित्व में उपलब्ध वाहनो का विवरण एवं टर्न ओवर

अ. वाहनो का विवरण (वाहन का टैक्सी परमिट होना चाहिए, स्वंय के स्वामित्व में 10 एवं 10 अन्य अनुबन्धित वाहन होना चाहिए तथा जिनका अभिलेख/ परमिट/ टैक्स का भुगतान अधतन होना चाहिए।)

क्रं	**वाहनो का प्रकार**	**मेक माडल**	**संख्या**	**सीट संख्या**
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

ब. टर्न ओवर

निविदाकार का विगत तीन वर्षो 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 का प्रत्येक वर्ष का पृथक–पृथक टर्न ओवर 25 लाख सालाना होना चाहिए। सी.ए. द्वारा तीनों सत्यापित बैलेंस शीट संलग्न करें।

क्रमांक	वर्ष	टर्न ओवर

11. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के टेक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होने का प्रमाण संलग्न करें।

12. आयकर पेन नं. विगत 03 वर्ष (2009–10, 2010–11 एवं 2011–12) की पृथक–पृथक आयकर विवरण की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

13. सुरक्षा राशि का विवरणः— बैंक ड्राफ्ट / ....
बैकर्स चैक क्रमांक

अदाता बैंक का नाम दिनांक राशि ....

14. फार्म की कीमत रू. 2000/— जमा कराने का डी.डी. का प्रमाण प्रस्तुत करना ही होगा।

हस्ताक्षर

घोषणा

मैं .... पिता / पति .... एतद् द्वारा घोषित करता हूँ / करती हूँ कि उपर क्रमांक 1 से 14 तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी तथ्य को मेरे द्वारा छिपाया नही गया है। मै यह भी घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैने निविदा की सरल क्रं.......... से .... तक सभी शर्ते पढ. ली है तथा ये शर्ते मुझे मान्य है। समस्त शासकीय नियमों के पालन हेतु कानूनी रूप से मैं जिम्मेदार हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम : ....

दूरभाषः ....

मो. क्रं..

लिफाफा (ब)

वित्तीय निविदा

वहन का प्रकार (वाहन निर्धारित मेक मॉडल 1/1/2011 अथवा उसके बाद का होना चाहिये)	निविदा भरने की दिनांक को x शौ रूम प्राईज संबंधित कंपनी की गाडी का प्रमाण संलग्न करना आवश्यक होगा।	मुख्यालय पर मासिक आधार पर	मुख्यालय पर प्रतिदिन के आधार पर (निर्धारित सीमा के पश्चात्)	मुख्यालय के बाहर	मुख्यालय पर प्रतिदिन के आधार पर दर
		1000 किलोमीटर तक वाहन चालन पर फिक्स्ड चार्जेस	दर प्रति कि.मी.	दर प्रति कि.मी. (*1)	
स्कार्पियों					
इनोवा					
टवेरा					
टाटा इंडिका					
इंडिगो					
बस 32 सिटर					
मारूति SX–4					
टाटा सूमों					
बुलेरो					
मारूति आल्टो					
मारूति वेन					
सेन्ट्रो					
मेजिक					
आटो रिक्शा					

(*1) मुख्यालय के बाहर जाने पर प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जायेगा।

नोट – 1. मुख्यालय का तात्पर्य भोपाल शहर की नगर निगम सीमा है।
2. उपर्युक्त दरों के अलावा अन्य कोई राशि देय नहीं होगी। मुख्यालय से बाहर जाने में मात्र टोल टेक्स की रसीदें प्रस्तुत करने पर एजेन्सी को परिषद द्वारा भुगतान किया जा सकेगा।
3. उपर्युक्त अंकित की जाने वाली दरें समस्त प्रभारों / व्यय / POL सहित होनी चाहिये।

हस्ताक्षर
संस्था